

दिनांक 12.04.2025:— वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता/एमिक्स क्यूरी श्री शरत चन्द्र गुप्ता उपस्थित। अभियुक्त सुनील सिंह अनुपस्थित। अभियुक्त सुनील सिंह को न्यायालय आदेश दिनांक 20.11.2024 के अनुक्रम में प्रशासन की ओर से राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान सेलाकुई, देहरादून में भर्ती किया गया था, अभियुक्त के उपरोक्त संस्थान से डिस्चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्राप्त नहीं है। चूँकि आज पीठासीन अधिकारी महोदया आकस्मिक अवकाश पर हैं।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।